भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3725

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2025

गाँवों/समुदायों के जातिसूचक नामों पर रोक

3725. श्री राकेश राठौर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कई स्थानों के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं जबकि कई बस्तियों, इलाकों और गाँवों में अभी भी 'तिलियाना', 'अहिरयाना', 'पसियाना', 'धुबियाना', 'गुनियाना', 'गड़रियाना', 'भुर्जियाना' आदि जातिसूचक नाम हैं, जो संबंधित समुदायों की सामाजिक पहचान को सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन जातिसूचक नामों के कारण संबंधित समुदायों द्वारा झेले जा रहे सामाजिक भेदभाव और मानसिक कष्ट के प्रति संवेदनशील है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे जातिसूचक स्थानों के नामों को बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण/प्रारूप/दिशानिर्देश तैयार करने या कोई नीति बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

हालांकि, गांवों, कस्बों आदि के नाम बदलने के लिए, जिनमें किसी समुदाय की सामाजिक पहचान प्रकट करने वाले स्थान भी शामिल हो सकते हैं, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जो संबंधित एजेंसियों के परामर्श से ऐसे प्रस्ताव की जांच करता है। इसके बाद, यदि उपयुक्त

पाया जाता है, तो गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को आवश्यक राजपत्र अधिसूचना जारी करने हेतु अपनी अनापत्ति सूचित करता है।

(ग): गृह मंत्रालय ने शहरों, कस्बों आदि के नाम बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यदि किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इन दिशानिर्देशों को पूरा करने वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो वह नाम के ऐसे परिवर्तन पर अपनी "अनापत्ति" प्रदान करता है।

*****